... करने पर आपत्ति नहीं है। प्रार्थीपक्ष
पत्रावली करने हेतु कार्य
23/11/22 को पेश हो। दिनांक

23/11/22 — पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता
(उम्मेदसिंह) श्री उम्मेदसिंह भांवरला उपस्थित। अप्रार्थीपक्ष
सं. 1 ता 7, 12, 13, 15, 17 ता 22 की ओर से
अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी उपस्थित।
शेष अप्रार्थीपक्ष अनुपस्थित। उभयपक्ष के
अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है।
(अनोपसिंह) एडवोकेट

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता
ने बहस में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी
बालेसर न्यायालय में राजस्व वाद संख्या
37/2017 भगवान दापु व अन्य बनाम डूंगरमल
व अन्य तथा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र
30/2017 विचाराधीन है तथा उपखण्ड अधिकारी
बालेसर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से
इन प्रकरणों में न्याय नहीं मिलने की संभावना
को देखते हुए प्रार्थीपक्ष की ओर से पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

डॉ. मनोज खमादा व अन्य

धापू व अन्य बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा.नि. 16/22 U/s. 235 R.T. Act	
23/11/22	प्रार्थना पत्र अ/धा. 235, राज. काश्तकारी अधि. के तहत प्रस्तुत करते हुए सुनवाई के लिए अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का पेश किया गया। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर SDO बालेसर न्यायालय में उक्त विचाराधीन राजस्व प्रकरण को स्थानान्तरित करने का आदेश दिया जाय।	
	अप्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थीपक्ष के प्रार्थना पत्र अनुसार SDO बालेसर न्यायालय में विचाराधीन उक्त राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र को सुनवाई के लिए अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।	
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया पीठासीन अधिकारी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अध्ययन किया। चूंकि प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्तागण सहमत है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं. 37/2017 बउनवान धापू व अन्य बनाम डूंगरमल व अन्य मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं. 30/2017 को अग्रिम सुनवाई के लिए अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अ/धा. 235 R.T. Act स्वीकार	

(हस्ताक्षर)

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

धापू व अन्य बनाम डॉ. मनोज खेमाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रा.वि. 16/22 U/s. 235 R.T. Act	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
23/11/22	किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं. 37/2017 बउनवान धापू व अन्य बनाम डूंगरमल व अन्य तथा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 30/2017 की सुनवाई के लिए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) को मुंतकिल करने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बालेसर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण शीघ्र उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) न्यायालय को प्रेषित करें। आदेश की प्रति संबंधित पीठासीन अधिकारियों को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	